न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 140 / 2021 (गत नम्बर 19 / 2016) RCMS 2021/167

प्रार्थीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र नन्दाराम
2. बोदूराम पुत्र नन्दाराम
3. गणेशाराम पुत्र नन्दाराम
4. भंवरलाल पुत्र नन्दाराम
5. बाली देवी पत्नी नन्दाराम
6. रूपा देवी पत्नी बालूराम
7. गुमानाराम पुत्र बालूराम
8. धनाराम पुत्र बालूराम
9. बुद्वाराम पुत्र बालूराम
10. बेगाराम पुत्र बालूराम
11. राजूराम पुत्र बालूराम जाति समस्त जाट निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नरेन्द्र कुमार मोहनपुरिया पुत्र जीवणराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी
2. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
3. उप पंजीयक कुचामनसिटी
4. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र बाबत रास्ता दिलाने व कायम करने बाबत
अन्तर्गत धारा 251(ए) R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 26/07/2022

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के पुख्ता निवासी है तथा इनकी ग्राम आनन्दपुरा मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 260 रकबा 1.61 हैक्टर भूमि आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 कुचामनसिटी के रहवासी है व इनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 3.29 हैक्टर आई हुई है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि का व अप्रार्थी संख्या 1 अपने–अपने खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण को अपने खेत खातेदारी भूमि मे आने–जाने का कोई सरकारी कटाणी रास्ता दर्ज नही है इसलिए प्रार्थीगण के मवेशी, गाड़ी, ट्रेक्टर हेतु आवागमन रास्ता दर्ज हो जाने से असुविधा नही हो। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 260 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 258 रकबा 3.29 हैक्टर मे से उत्तरी पूर्वी कूंट मे नजरी नक्शानुसार 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक जाने के लिए दिलाया जावे, जिसकी नियमानुसार सरकारी मुआवजा जो भी बनता है वो वहन करने के लिए प्रार्थी तैयार

...2...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है। राणासर से ढ़ोली फार्म जाने वाली मुख्य सड़क से इस रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नजदीक नही है इसलिए यह रास्ते का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 260 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 258 रकबा 3.29 हैक्टर मे से उत्तरी पूर्वी दिशा में से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने की अनुकम्पा करावें जिसका सरकारी डीएलसी दर से जो भी मुआवजा राशि बनती हे उसको अदा करने के लिए प्रार्थीगण तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनॉक को प्रार्थीगण के पक्ष में दिनॉक 16.05.2017 को आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त आदेश की अपील माननीय राजसव अपील अधिकारी नागौर को यहॉ की गई, जो अपील सं. 137/2017 दर्ज होकर सुनवाई पश्चात दिनॉक 11.03.2020 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा आदेश पारित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अर्थात इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 15.05.2017 को अपास्त कर प्रकरण में उभय पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणवगुण निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज कर पुनः सुनवाई की गई तथा तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.07.2021 तैयार कर पत्रांक/राजस्व/2020/407 दिनॉक 13.07.2021 के संलग्न इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में नजरी नक्शा में रास्ता " ए " खसरा नम्बर 258 में से है जिसका क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है तथा " बी " खसरा नम्बर 261 में से है जिसका क्षेत्रफल 205 वर्ग मीटर है तथा रास्ता " सी " खसरा नम्बर 273 व 274 में से है खसरा नम्बर 273 में से 15 मीटर लम्बा (15 x 5 = 75 वर्ग मीटर) तथा खसरा नम्बर 274 में से 25 मीटर लम्बा (25 x 5 = 125 वर्ग मीटर) है, खातेदारो द्वारा रास्ता " सी " वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त खातेदारी सुदा भूमि ग्राम आंनन्दपुरा के खसरा नम्बर 260 में आमद रफत हेतु वैकल्पिक रास्ता बना रखा है तथा उसी में से आते जाते है जो खातेदारो की खातेदारी में गै.मु.ढाणी दर्ज है तथा बिना किसी रोक टोक के प्रार्थीगण का आना जाना है, प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 258 में से रास्ते का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बिना किसी वजह से अप्रार्थी सं. 1 को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में जारी आदेश को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा खारिज किया जा चुका है। धारा 251 के प्रावधान तब लागू है जब किसी प्रकार के वैकल्पिक रास्ते नही हो, जबकि रिपोर्ट दिनॉक 13.07.2021 में भी स्पष्ट है कि ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 260 में आने जाने के लिए वर्तमान में आने जाने के लिए खातेदारों द्वारा खसरा नम्बर 273 व 274 में से आते जाते है तथा मौके पर रास्ता के निशानात भी है जो खसरा नम्बर 267 गै.मु.रास्ता निजी खातेदारी का है इस रास्ते से मिलते है इस रास्ते खसरा नम्बर 260 की दूरी 40 मीटर है जो मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 273 में 15 मीटर व खसरा नम्बर 274 में 25 मीटर लम्बा मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा मौके पर चालू भी है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर देवाराम बनाम मांगूराम 2019 (1) CJ (Civ) (Raj) पेज 442 पर उपलब्ध उद्धरण "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा–क–व्याप्ति–नया रास्ता खोलने का आदेश प्रदान किये जाने से पहले एसडीओ को संक्षिप्त जांच के बाद इस सन्तुष्टि पर पहुंचना चाहिये कि आवश्यकता निश्चायक है तथा केवल अपनी काश्तकारी भूमि हेतु एक सुविधाजनक उपयोग नही है तथा पहुंच के लिये वैकल्पिक साधनों की अनुपस्थिति साबित हो गयी है।" उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नही होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नजीर राजस्थान हाई कोर्ट सिंगल बैंच देवाराम बनाम मांगूराम वगैरह 2019 (1) DNJ 113 (2019) RRD 119: (2019) 1 WLN 276 एवं (2016) WLC (Raj) UC 338 का उद्धरण प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण में चस्पा होती है, इस प्रकार प्रार्थना–पत्र 251 ए चलने योगय नही है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने व कायम करने बाबत अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 26/07/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कार्यालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 407 दिनांक :– 13.7.2021

प्रेषित :–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

कुचामन सिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 140 / 2021 गत मु.नं. 19 / 2016 रामेश्वरलाल बनाम नरेन्द्र कुमार मोहनपुरिया वगैराह में माननीय न्यायालय आर.ए.ए. नागौर के आदेश दिनांक 11.03.2020 की पालना बाबत।

प्रसंग :– श्रीमान के कार्यालय पत्र क्रमांक / राजस्व / 2021 / 793 दिनांक 09.04.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 140 / 2021 गत मु.नं. 19 / 2016 रामेश्वरलाल बनाम नरेन्द्र कुमार मोहनपुरिया वगैराह में माननीय न्यायालय आर.ए.ए. नागौर के आदेश दिनांक 11.03.2020 की पालना में उभय पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट चाही गयी हैं।

अतः श्रीमान जी आज दिनांक 13.07.2021 को उभय पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :– मौका रिपोर्ट

13.7.21

तहसीलदार,कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

122
राजस्व
14/07/2021

मौका रिपोर्ट

—xxx—

आज दिनांक 13.7.2021 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक/राजस्व/कोर्ट/2021/793 दि. 9.4.2021 की पालना में व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (R.A.A.) नागौर के राजस्व प्रार्थना-पत्र सं. 140/2021 गत मु.न. 19/2016 अनुवान रामेश्वरलाल बनाम नरेन्द्रकुमार मोहनपुरिया वगैरह में न्यायालय RAA नागौर के आदेश दिनांक 11.03.2020 के सन्दर्भ में ग्राम आनन्दपुरा के ख.न. 260 में आने जाने के रास्ते के सन्दर्भ में पटवारी हल्का आनन्दपुरा के साथ मौके पर पहुंचा। उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादियों को कार्यालय तहसीलदार कुचामन सिटी के द्वारा जारी नोटिस दि. 25/06/21 के द्वारा पूर्व में सूचित किया गया है। उक्त विषय (प्रकरण) में मौका व रिकॉर्ड की स्थिति निम्न प्रकार है :→

(1) ग्राम आनन्दपुरा के ख.न. 260 में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता ख.न. 258 व ख.न. 261 की माठ (सींव) के सहारे-सहारे आनन्दपुरा से राणासर रास्ते से ख.न. 260 की उत्तरी माठ (सींव) तक है। इस माठ (सींव) की दूरी 36 मीटर है। इस प्रकार ख.न. 261 में से 5 मीटर चौड़ा रास्ता देने से 205 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जाती है तथा ख.न. 258 में से 5 मीटर चौड़ा रास्ता देने पर 180 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में जाती है। इस प्रकार ख.न. 258 में से रास्ता देने पर 180 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में सबसे कम भूमि जाती है।

(2) ग्राम आनन्दपुरा के ख.न. 260 में आने जाने के लिए वर्तमान में आने जाने के लिए खातेदारों द्वारा ख.न. 273 व 274 में से आते जाते है। तथा मौके पर रास्ता के निशानात भी है। जो ख.न. 267 गै.मु. रास्ता नीजी खातेदारी का है इस रास्ते से मिलते है। इस रास्ते (ख.न. 267) से ख.न. 260 की दूरी 40 मीटर है। जो मौके पर ख.न. 273 में 15 मीटर व ख.न. 274 में 25 मीटर लम्बा मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा मौके पर चालू भी है।

(3) ग्राम आनन्दपुरा के ख.न. 267 गै.मु. रास्ता (नीजी खातेदारी) जिसमें प्रतिवादी सभी सह खातेदार है। ख.न. 267 के पास ख.न. 277, 278, 279 में सह खातेदार सभी प्रतिवादी है। ख.न. 260 के दक्षिण में चिपता खेत ख.न. 259 व 1088/259 में ख.न. 259 में प्रतिवादी सं. 01 से 04 तक खातेदार है। तथा ख.न. 1088/259 में प्रतिवादी सं. 07 से 11 तक खातेदार है। ख.न. 259 ख.न. 279 के पास व ख.न. 279 ख.न. 278 के पास ख.न. 278 ख.न. 277 के पास ख.न. 277 ख.न. 267 के पास चिपता हुआ है। ख.न. 267 गै.मु. रास्ता है तथा सभी प्रतिवादियों व अन्य खातेदारों की सह खातेदारी में रिकॉर्ड दर्ज है।

P.T.O

सलग्न
[signature]
13.7.21

[signature] 13/7/2021 [signature] [signature]
प० आनन्दपुरा

मोहनपुरिया [signature]

नजरी नक्शा

उपरोक्त नजरी नक्शा में रास्ता (A) ख.नं. 258 मेंसे है जिसका क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर है तथा रास्ता (B) ख.नं. 261 मेंसे है जिसका क्षेत्रफल 205 वर्गमीटर है तथा रास्ता (C) खसरा नं. 273 व ख.नं. 274 में से है। ख.नं. 273 में से 15 मीटर लम्बा (15x5=75 वर्गमीटर) तथा ख.नं. 274 में से 25 मीटर लम्बा (25x5=125 वर्गमीटर) है। खातेदार द्वारा रास्ता (C) द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। मौका पर पढ़कर सुनाई व उपस्थितों के हस्ताक्षर करवाये।

बोदुराम

पु0 आनन्दपुरा

13.7.21

तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर